प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊः दिनाक 23 मार्च, 2026**

विषयः- **सिंचाई विभाग में राजकीय कार्यों के कुशल सम्पादन हेतु 07 अदद Innova Crysta(GI,MT) Pakage G-MT, 7S , 38 अदद Honda City VMTR Petrol Manual BS-VI, 36 अदद Maruti Dzire VXI 1.2L ISS 5MT, 40 अदद Maruti XL.6 Alpha Petrol, 119 अदद Mahindra Bolero B4 BS6.2 क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-**7025/**अधि0ब0अनु0, दिनांक 18.02.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष **2025-26** के अनुदान संख्या-**95** (अधिष्ठान) लेखाशीर्षक-4701-मध्यम सिंचाई-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशन-14-मोटर गाड़ियों का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि रु**0 36.65** करोड़ में से **07 अदद** Innova Crysta(GI,MT) Pakage G-MT, 7S का प्रति अदद मूल्य रु० 17,80,686.00 x 7=रू0 1,24,64,802.00, **38 अदद** Honda City VMTR Petrol Manual BS-VI का प्रति अदद मूल्य रु० 11,35,175.00 x 38= रू0 4,31,36,650.00 एवं **36 अदद** Maruti Dzire VXI **1.2**L ISS **5**MT का प्रति अदद मूल्य रु0 6,31,048.00 x 36=रु0 2,27,17,728.00, **40 अदद** Maruti XL**6** Alpha Petrol का प्रति अदद मूल्य रु० 10,98,944.00 x 40=रू0 4,39,57,760.00 एवं **119 अदद** Mahindra Bolero B**4** BS**6.2** का प्रति अदद मूल्य रु० 7,15,062.00 x 119=रू0 8,50,92,378.00 अर्थात् कुल 240 अदद वाहनों के क्रय हेतु **कुल धनराशि रू0 20,73,69,318.00** (रूपये बीस करोड़ तिहत्तर लाख उनहत्तर हजार तीन सौ अठारह मात्र) को क्रय हेतु आने वाले व्यय की अनुमति एतदद्वारा निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जा रही है:-

1- विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उक्त दरें Government E-Market Place (GEM) के अनुसार है।

2- विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य किये गये वाहन शासकीय वाहन ही है तथा उनके सापेक्ष अभी तक रिप्लेसमेन्ट में कोई वाहन क्रय नहीं किया गया है।

3- जेम पोर्टल के अनुसार वाहनों के क्रय का दायित्व विभाग का होगा।

4- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 22.05.2015 एवं 21.12.2023 का अनुपालन विभाग द्वारा किया जायेगा।

5- विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि पूर्व में इन वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन नहीं खरीदे गये हैं।

6- विभाग शासनादेश दिनांक 01.04.2016 उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) में उल्लिखित सुसंगत क्रय प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

7- उक्त व्यय नियमानुसार व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निष्प्रयोज्य हुए वाहन के सापेक्ष शासन अथवा अन्य स्रोत से पूर्व में किसी प्रकार की धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।

8- उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी हो चुकी हो तथा नीलामी से प्राप्त धनराशि राजकोष में नियमानुसार जमा करायी जा चुकी हो एवं धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

का उपयोग केवल स्वीकृत मदों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जायेगा तथा वाहन क्रय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

9- निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वाहनों का क्रय किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत बजट व्यवस्था से अधिक किसी भी दशा में व्यय न हो।

10- नीलामी से प्राप्त धनराशि के जमा करने की रसीद/चालान की प्रति क्रमवार उपलब्ध करायी जाएगी।

11- यह सुनिश्चित किया जाए कि निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी से प्राप्त धनराशि जिस रशीद/चालान से धनराशि राजकोष में जमा की जा चुकी है, उसके सापेक्ष पूर्व में कोई वाहन प्रतिस्थापन स्वरूप क्रय नहीं किया गया हो और न ही इस प्रकरण के पश्चात् भविष्य में इनके सापेक्ष नये वाहनों का क्रय किया जाएगा।

12- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष क्रय किए गए वाहनों को यथावश्यकता सिविल संगठन को आवंटित करेंगे तथा जितने वाहन निष्प्रयोज्य घोषित हैं उनके स्थान पर ही प्रतिस्थापन स्वरूप वाहनों को क्रय किया जा रहा है, की पुष्टि प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग के स्तर से करा ली जाएगी।

13- विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/ दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिए गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **20,73,69,318.00** (रूपये बीस करोड़ तिहत्तर लाख उनहत्तर हजार तीन सौ अठारह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 095 **लेखा शीर्षक** 4701800010300 निदेशन **मानक मद** 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-1140-X-2025-26-दिनांक:20-3-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव

संख्या एंव दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

2- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- मुख्य अभियन्ता(शारदा सहायक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिला कलेक्ट्रेट, मुख्य कोषागार, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।

6- गार्ड फाईल

आज्ञा से,
जगराम यादव
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है